भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3704

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

उत्तर प्रदेश में केंद्र प्रायोजित शिक्षा संबंधी योजनाएं

†3704. श्री राजीव राय:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस)/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मऊ और बलिया जिलों सहित उत्तर प्रदेश में तथा तमिलनाडु में इन योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की वर्षवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यकुशलता और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के समक्ष आ रही प्रमुख चुनौतियां कौन-कौन सी हैं जिनमें निधि संवितरण में विलंब, अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच से संबंधित मुद्दे शामिल हैं;

(ङ.) क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं की प्रभावशीलता को मापने के लिए कोई मूल्यांकन या प्रभाव आकलन संबंधी अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(च) सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत समन्वय में सुधार लाने, कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने और शैक्षणिक परिणामों में वृद्धि करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण, स्टार्स और उल्लास की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण और उल्लास को क्रियान्वित किया जा रहा है

और तमिलनाडु राज्य में समग्र शिक्षा, पीएम पोषण और उल्लास को क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधित योजनाओं के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों एवं पहले से स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो स्कूल शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक बिना किसी अलगाव के समग्र रूप में देखता है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स)

राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण (स्टार्स) कार्यक्रम को छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 5 वर्षों की अवधि में अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में चयनित राज्यों में छात्रों के परिणामों में सुधार और चयनित राज्यों में स्कूली शिक्षा के प्रशासन की परिकल्पना की गई है। परियोजना के लक्षित लाभार्थी 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे (प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक) शिक्षा संस्थान और शिक्षक हैं।

पीएम श्री स्कूल

पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करना है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और रुचिकर स्कूली माहौल में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ख्याल रखते हैं और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

पीएम श्री योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य से कुल 1713 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 437 प्राथमिक, 1128 प्रारंभिक, 1 माध्यमिक और 147 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं।

पीएम-पोषण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, लाभवंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना और साथ ही ग्रीष्मवकाश एवं आपदा के समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना है।

उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)

उल्लास, अर्थात समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है और इसे 2022-23 से 2026-27 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, जिन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली है और जो निरक्षर हैं।

(ख): उत्तर प्रदेश में मऊ और बलिया जिलों और तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा और पीएम पोषण से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की वर्षवार और जिलेवार संख्या https://kys.udiseplus.gov.in/#/region लिंक पर देखी जा सकती है। मऊ और बलिया जिलों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पीएम श्री योजना के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग) से (च): केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- यूडाइस+: यह साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय के लिए शिक्षा एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज) का उन्नत और अद्यतन संस्करण है।
- परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली (प्रबंध) जो एक बड़ी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है, जो विमुक्ति की स्थिति, अनुमोदित परिव्यय, यूडाइस के अनुसार कवरेज, विद्यालय-वार अनुमोदन की सूची, विद्यालय-वार अंतराल, अनुमोदन में निरस्त किए जाने आदि पर नज़र रखती है।

- अवसंरचना और सुविधाओं के निरीक्षण हेतु स्कूलों के आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों और क्लस्टर संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ बनाना।
- शैक्षिक प्रणाली की स्थिति की जांच करने तथा विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किए जाते हैं।
- लेखा परीक्षा तंत्र- मजबूत निगरानी प्रणालियाँ स्थापित हैं, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पैनल में शामिल एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा, एक नियमित सीएजी लेखा परीक्षा, समवर्ती वित्तीय समीक्षाओं की प्रणाली एवं राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें शामिल हैं। वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर एक नियमावली भी कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने में राज्यों की सहायता करता है।
- समग्र शिक्षा के सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा प्रतिवर्ष सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए 20% सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
- सामुदायिक स्तर पर निगरानी, जिसमें समुदाय को स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) जैसी अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि स्कूल प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।
- हितधारकों के साथ आवधिक बैठकें: शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शिक्षा सचिवों और राज्य परियोजना निदेशकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करता है।

इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के माध्यम से योजना में शामिल सभी कार्यक्रमों के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटक-वार प्रस्ताव का मूल्यांकन और स्वीकृति परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों जैसे कि राज्य सरकार के हिस्से का राज्य सरकार को हस्तांतरण, व्यय की गति, एसएनए में राज्य सरकार के हिस्से के अनुरूप प्राप्ति, बकाया अग्रिमों पर विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन एवं खरीद नियमावली में निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करना तथा पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र की पूर्ति के आधार पर जारी की जाती हैं।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय आरटीई नियम यह प्रावधान करते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय पड़ोस से एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पड़ोस से तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक

विद्यालय खोलने के लिए अपने राज्य की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोस मानदंडों के क्षेत्र या सीमाएँ अधिसूचित की हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जिन्होंने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए पड़ोस के मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया है, समग्र शिक्षा के तहत 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय और 7-10 किलोमीटर के भीतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि उनकी व्यवहारिकता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाती है। उन बस्तियों के लिए जो कवरेज रहित रह जाती हैं (ज्यादातर छोटी या दुर्गम क्षेत्रों में कम आबादी वाली) जहाँ स्कूल खोलना संभव नहीं है, कक्षा X तक प्रति बच्चा प्रतिवर्ष ₹ 6000 की औसत लागत पर परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) प्राथमिक, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है और साथ ही मुख्य प्रशिक्षकों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रशिक्षण भी है। निष्ठा का तात्पर्य है कि प्रत्येक शिक्षक और प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हितों से प्रेरित अपने पेशेवर विकास के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अवसरों में भाग लें। सीपीडी के इन 50 घंटों के लिए जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य इन-सर्विस प्रशिक्षण नीति विकसित करेंगे और इसे कार्यान्वित करेंगे।

(छ): पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि निम्नानुसार है:

समग्र शिक्षा (₹ करोड़ में)

वर्ष	**प्रस्तावित केंद्रीय विमुक्ति**	**पीएफएमएस के अनुसार केंद्रीय विमुक्ति**
2020-21	35772.81	27758.52
2021-22	34671.73	24873.18
2022-23	44493.94	32151.94
2023-24	44872.27	32382.79
2024-25	45976.21	22449.88

पीएम श्री (रू. करोड़ में)

वर्ष	**कुल अनुमोदित निधि**	**अनुमोदित केन्द्रीय भाग**	**राज्य को जारी केंद्रीय भाग**
2023-24	3399.60	2524.91	1217.81
2024-25	6935.59	5002.04	2724.02

पीएम पोषण (रू. करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय विमुक्ति	उपयोग की गई राशि
2019-20	9700.04	9514.83
2020-21	12875.10	12886.79
2021-22	10227.67	12616.41
2022-23	12675.01	10471.70
2023-24	8451.22	9549.82

स्टार्स (रू. करोड़ में)

वर्ष	**अनुमोदन**	**केंद्रीय विमुक्ति**
2020-21	147.20	91.15
2021-22	826.02	278.47
2022-23	1408.36	468.42
2023-24	2209.93	680.98
2024-25	2438.08	637.25

उल्लास (करोड़ ₹ में)

वर्ष	**आवंटित निधि**	**केंद्रीय विमुक्ति**
2022-23	100.00	76.77
2023-24	120.00	39.35
2024-25	120.00	89.16

*****

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित शिक्षा संबंधी योजनाएं" के संबंध में माननीय संसद श्री राजीव राय, श्री सी. एन. अन नादुरई, श्री जी. सेल्वम, श्री नवसकनी के. के द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3704 के भाग (ब) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 के दौरान पीएम श्री योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ और बलिया जिलों सहित लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की जिले-वार संख्या इस प्रकार है:

क्रं.सं.	जिले का नाम	नामांकन डेटा
1	आगरा	9173
2	अलीगढ़	9709
3	अंबेडकर नगर	6165
4	अमेठी - सीएसएम नगर	8077
5	औरैया	3300
6	आजमगढ़	16233
7	बागपत	3771
8	बहराइच	14533
9	**बलिया**	**8441**
10	बलरामपुर	5951
11	बांदा	9829
12	बाराबंकी	13417
13	बरेली	11474
14	बस्ती	6579
15	भदोई	5998
16	बिजनौर	8211
17	बदायूं	12060
18	बुलंदशहर	12485
19	चंदौली	9573
20	चित्रकूट	5011
21	देवरिया	10534
22	एटा	4292
23	इटावा	5658
24	फैजाबाद	4964
25	फर्रुखाबाद	4294
26	फतेहपुर	8808
27	फिरोजाबाद	6193
28	गौतम बुद्ध नगर	3217
29	गाजियाबाद	5427
30	गाजीपुर	9530
31	गोंडा	16346
32	गोरखपुर	18149
33	हमीरपुर (उ.प्र.)	7829
34	हापुड (पंचशील नगर)	3040

35	हरदोई	12027
36	हाथरस	4193
37	जालौन	4482
38	जौनपुर	12568
39	झांसी	8544
40	ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	4795
41	कन्नौज	4512
42	कानपुर देहात	4977
43	कानपुर नगर	5744
44	कांशीराम नगर	5046
45	कौशांबी	4369
46	खीरी	14803
47	कुशीनगर	8173
48	ललितपुर	14272
49	लखनऊ	7528
50	महाराजगंज	7914
51	महोबा	9047
52	मैनपुरी	5340
53	मथुरा	5458
54	**मऊ**	**4694**
55	मेरठ	8641
56	मिर्जापुर	8719
57	मुरादाबाद	7156
58	मुजफ्फरनगर	9840
59	पीलीभीत	10315
60	प्रतापगढ़	8681
61	प्रयागराज	21708
62	रायबरेली	12575
63	रामपुर	8393
64	सहारनपुर	7676
65	संभल (भीम नगर)	4618
66	संतकबीरनगर	6580
67	शाहजहांपुर	11987
68	शामली (प्रबुध) नागर	5107
69	श्रावस्ती	4379
70	सिद्धार्थनगर	11134
71	सीतापुर	17035
72	सोनभद्र	12303
73	सुल्तानपुर	12429
74	उन्नाव	8500
75	वाराणसी	12861
	कुल योग	**647394**

स्रोत: यूडीआईएसई+